रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No D. (D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 102] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 25, 1981/चैत्र 4, 1903

No. 102] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 25, 1981/CHAITRA 4, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1981

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 192(अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं में जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा ।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	49/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं० 1 के सामने स्तम्भ (2) में,— "160/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 163/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977" अंकों, शब्दों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ।
2.	50/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981	उक्त अधिसूचना के पैरा 1 के खंड (ग) का लोप किया जाएगा ।

[62/81]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 25th March, 1981

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 192(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that the notifications of he Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	49/81-Central Excises, dated the 1st March, 1981.	In the said notification, in the Table, against serial No. 1, in Column (2), the figures, words and letters "160/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977. 163/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977." shall be omitted.
2.	50/81-Central Excises, dated the 1st March, 1981.	In the said notification, in paragraph 1, clause (c) shall be omitted.

[62/81]

सा० का० नि० 193(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 83/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जून, 1980 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु किसी कारखाने से एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से इस अधिसूचना के अधीन शुल्क की शून्य दर पर घरेलू उपयोग के लिए ऐसी बीड़ियों की निकासी का कुल परिमाण किसी वित्तीय वर्ष में तीस लाख से अधिक नहीं होगा।"

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1981 को प्रवृत्त होगी।

[63/81]

G.S.R. 193(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of Section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 83/80-Central Excises, dated the 19th June, 1980, namely :—

In the said notification, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the aggregate quantity of such biris cleared for home consumption at nil rate of duty under this notification by or on behalf of one or more manufacturers from any factory shall not exceed 30 lakhs in any financial year.".

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1981.

[63/81]

सा० का० नि० 194(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 74/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में,—

(क) "यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान एक या अधिक कारखाने से गृह उपभोग के लिए निकासी किए गए उक्त माल का, यदि कोई हो, कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपए से अधिक रहा हो" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि किसी कारखाने से एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से घरेलू उपभोग के लिए इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शुल्क की घटी दर पर उक्त माल की निकासियों का कुल मूल्य किसी वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि इस अधिसूचना की कोई बात किसी ऐसे विनिर्माता को लागू नहीं होगी जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 80/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जून, 1980 के अधीन उक्त माल के सम्बन्ध में छूट का लाभ उठाता है।"

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1981 को प्रवृत्त होगी।

[64/81]

G.S.R. 194(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 74/78-Central Excises, dated the 1st March, 1978, namely :—

In the said notification, in paragraph 1,—

(a) the words "if the aggregate value of the said goods cleared, if any, for home consumption from one or more factories during the preceding financial year had exceeded rupees fifteen lakhs" shall be omitted ;

(b) after the first proviso the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that the aggregate value of first clearances of the said goods at the reduced rate of duty as specified in this notification, for home consumption, from any factory, by or on behalf of one or more manufacturers, shall not exceed rupees one crore, in any financial year :

Provided also that nothing contained in this notification shall apply to a manufacturer who avails of the exemption under the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 80/80-Central Excises, dated the 19th June, 1980 in respect of the said goods.".

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1981.

[64/81]

सा०का०नि० 195(अ) .—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 8/74—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जनवरी, 1974 का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 16 की उप-मद i(1) के अन्तर्गत आने वाले यानों के टायरों को (जो दो पहिए वाले मोटर यानों अर्थात, स्कूटरों, मोटर साइकिल, मोपेड और आटो साइकिल के टायरों से भिन्न हैं) (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त माल" कहा गया है) उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना मूल्य के चालीस प्रतिशत से अधिक है :

परन्तु—

(i) एक या अधिक कारखानों से किसी विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से, या

(ii) किसी कारखाने से एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उसकी ओर से इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शुल्क की घटी दर पर घरेलू उपभोग के लिए उक्त माल की प्रथम निकासी का कुल मूल्य किसी वित्तीय वर्ष में, दोनों दशाओं में, पचास लाख रुपये से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट,—

(i) किसी विनिर्माता को लागू नहीं होगी यदि एक या अधिक कारखानों से उसके द्वारा या उसकी ओर से घरेलू उपभोग के लिए मोटर यानों के टायरों की निकासी का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान दो करोड़ रुपए से अधिक हो गया हो ;

(ii) यदि किसी कारखाने से एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से घरेलू उपभोग के लिए मोटर यानों के टायरों की निकासी का कुल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान दो करोड़ रुपए से अधिक हो गया हो ।

2. जहां किसी विनिर्माता ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में मोटर यानों के टायरों की निकासी नहीं की है या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार मोटर यानों के टायरों की निकासी की है वहां इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट ऐसे विनिर्माता को लागू होगी यदि वह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर के पास इस आशय की घोषणा फाइल करता है कि एक या अधिक कारखानों से उसके द्वारा या उसकी ओर से घरेलू उपभोग के लिए मोटर यानों के टायरों की निकासी के कुल मूल्य के दो करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना नहीं है और यदि वित्तीय वर्ष के दौरान निकासी किए गए मोटर यानों के ऐसे टायरों की निकासी का कुल मूल्य दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है ।

3. जहां मोटर यानों के टायरों की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किसी कारखाने से निकासी नहीं की गई है या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार निकासी की गई है वहां इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट लागू नहीं होगी यदि ऐसे कारखाने से एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से घरेलू उपभोग के लिए मोटर यानों के टायरों की निकासी का कुल मूल्य वित्तीय वर्ष के दौरान दो करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है ।

4. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1981 को प्रवृत्त होगी ।

[65/81]

G.S.R. 195(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 8/74—Central Excises, dated the 18th January, 1974, the Central Government hereby exempts tyres for motor vehicles (other than tyres for two-wheeled motor vehicles, namely, scooters, motor cycles, mopeds and autocycles) falling under sub-item I(1) of Item No. 16 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as "the said goods") from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of forty per cent ad valorem :

Provided that the aggregate value of first clearances of the said goods, for home consumption at the reduced rate of duty as specified in this notification,—

(i) by or on behalf of a manufacturer, from one or more factories, or

(ii) from any factory, by or on behalf of one or more manufacturers,

shall not exceed, in either case, rupees fifty lakhs, in any financial year :

Provided further that the exemption contained in this notification shall not be applicable,—

(i) to a manufacturer if the aggregate value of clearances of tyres for motor vehicles, for home consumption, by him or on his behalf, from one or more factories, during the preceding financial year, had exceeded rupees two crores ;

(ii) if the aggregate value of clearances of the tyres for motor vehicles from any factory, for home consumption, by or on behalf of one or more manufacturers during the preceding financial year, had exceeded rupees two crores.

2. Where a manufacturer has not cleared tyres for motor vehicles in the preceding financial year or has cleared tyres for motor vehicles for the first time on or after the first day of August in the preceding financial year, the exemption contained in this notification shall be applicable to such manufacturer if he files a declaration with the Assistant Collector of Central Excise that the aggregate value of clearances of tyres for motor vehicles, by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories is not likely to exceed rupees two crores and if the aggregate value of clearances of such tyres for motor vehicles cleared during the financial year does not exceed rupees two crores.

3. Where tyres for motor vehicles have not been cleared from any factory in the preceding financial year, or have been cleared for the first time on or after the first day of August in the preceding financial year, the exemption contained in this notification shall not be applicable if the aggregate value of clearances of tyres for motor vehicles from such factory for home consumption by or on behalf of one or more manufacturers exceeds rupees two crores during the financial year.

4. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1981.

[65/81]

सा०का०नि० 196(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 70/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु किसी कारखाने से एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से घरेलू उपभोग के लिए इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शुल्क की घटी दर पर स्ट्राबोर्ड और मिलबोर्ड की कुल निकासी किसी वित्तीय वर्ष में सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट रीम से अधिक नहीं होगी : " ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1981 को प्रवृत्त होगी ।

[66/81]

G.S.R. 196(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 70/76—Central Excises, dated the 16th March, 1976, namely :—

In the said notification, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the aggregate clearances of strawboard and mill board from any factory, for home consumption, by or on behalf of one or more manufacturers, at the reduced rate of duty as specified in this notification, shall not exceed the limits specified in column (1) of the Table in any financial year.".

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1981.

[66/81]

सा०का०नि० 197(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 89/80—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जून, 1980 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) पैरा 1 के परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु किसी कारखाने से एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से घरेलू उपभोग के लिए इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शुल्क की घटी दर पर ऐसे कागज और कागज बोर्ड की निकासी का कुल परिमाण किसी वित्तीय वर्ष में तीन सौ टन से अधिक नहीं होगा।" ;

(ख) पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किए जाएंगे अर्थात् :—

"3. इस अधिसूचना की कोई बात लागू नहीं होगी यदि किसी कारखाने से एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से घरेलू उपभोग के लिए ऐसे कागज और कागजबोर्ड की निकासी का कुल परिमाण पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में तीन सौ टन से अधिक हो गया हो।

4. जहां किसी विनिर्माता ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे कागज या कागज बोर्ड की निकासी नहीं की है या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार ऐसे कागज और कागज बोर्ड की निकासी की है वहां इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट ऐसे विनिर्माता को तभी लागू होगी जब वह उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर के पास इस आशय की घोषणा फाइल कर देता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे कागज और कागज बोर्ड की निकासी का कुल परिमाण तीन सौ टन से अधिक होने की संभावना है और वित्तीय वर्ष के दौरान निकासी किए गए ऐसे कागज और कागज बोर्ड का कुल परिमाण तीन सौ टन से अधिक नहीं है।

5. जहां किसी कारखाने से ऐसे कागज या कागज बोर्ड की किसी वित्तीय वर्ष में निकासी नहीं की गई है या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार निकासी की गई है वहां इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट छूट लागू नहीं होगी यदि ऐसे कारखाने से एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से घरेलू उपभोग के लिए ऐसे कागज और कागज बोर्ड की निकासी का कुल परिमाण वित्तीय वर्ष के दौरान तीन सौ टन से अधिक हो जाता है"।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1981 को प्रवृत्त होगी।

[67/81]

G.S.R. 197(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 89/80—Central Excises, dated the 19th June, 1980, namely :—

In the said notification. —

(a) in paragraph 1, for the provisos, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the total quantity of clearances of such paper and paper board from any factory, for home consumption, by or on behalf of one or more manufacturers, at the reduced rate of duty as specified in this notification, shall not exceed three hundred tonnes in any financial year." ;

(b) after paragraph 2 the following paragraphs shall be inserted, namely :—

"3. Nothing contained in this notification shall apply if the total quantity of clearances of such paper board from any factory, for home consumption, by or on behalf of one or more manufacturers, had exceeded three hundred tonnes in the preceding financial year.

4. Where a manufacturer has not cleared any such paper or paper board in the preceding financial year or has cleared such paper and paper board for the first time on or after the 1st day of August in the preceding financial year, the exemption contained in this notification shall be applicable to such manufacturer if he files a declaration with the Assistant Collector of Central Excise that the total quantity of clearances of such paper and paper board during the financial year is not likely to exceed three hundred tonnes and if the total quantity of such paper and paper board cleared during the financial year does not exceed three hundred tonnes.

5. Where, from any factory, such paper or paper board have not been cleared in the preceding financial year, or have been cleared for the first time on or after the 1st day of August in the preceding financial year, the exemption contained in this notification shall not be applicable if the total quantity of such paper and paper board cleared from such factory, for home consumption, by or on behalf of one or more manufacturers during the financial year exceeds three hundred tonnes.".

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1981

[67/81]

सा०का०नि० 198(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 175क/80—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 10 नवम्बर, 1980 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु किसी कारखाने से एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से इस अधिसूचना के अधीन शुल्क की शून्य दर पर घरेलू उपभोग के लिए संसेचित फिल्टर कागज की निकासी का कुल परिमाण किसी वित्तीय वर्ष में एक हजार टन से अधिक नहीं होगा।"

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1981 को प्रवृत्त होगी।

[68/81]

G.S.R 198(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the

Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 175A/80-Central Excises, dated the 10th November, 1980, namely :—

In the said notification, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the aggregate quantity of impregnated filter paper cleared for home consumption at nil rate of duty under this notification by or on behalf of one or more manufacturers from any factory shall not exceed one thousand tonnes in any financial year.".

2. This notifiction shall come into force on the 1st day of April, 1981.

[68/81]

सा०का०नि० 199(अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 160/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्—

"परन्तु सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट शुल्क मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत से घटा दिया जाएगा यदि—

(1) किसी ऐसे अधिकारी का जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे औद्योगिक एकक में जिसमें सारणी में वर्णित वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, स्थापित संयंत्र और मशीनरी पर समय-समय पर किए गए पूंजी विनिधान के मूल्य की कुल राशि बीस लाख रुपए से अधिक नहीं है, और

(2) ऐसे औद्योगिक एकक से एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से घरेलू उपभोग के लिए सारणी में वर्णित सभी वस्तुओं की निकासी का, यदि कोई हो, कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान पचास लाख रुपए से अधिक नहीं हो गया हो :

परन्तु यह और कि—

(1) एक या अधिक औद्योगिक एककों से किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से, या

(2) किसी औद्योगिक एकक से एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से,

प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट शुल्क की घटी दर पर घरेलू उपभोग के लिए, सारणी में वर्णित सभी वस्तुओं की प्रथम निकासी का कुल मूल्य किसी वित्तीय वर्ष में, दोनों दशाओं में, पच्चीस लाख रुपए से अधिक नहीं होगा ।

परन्तु यह और भी कि इस अधिसूचना की कोई बात किसी विनिर्माता को घरेलू नहीं होगी यदि एक या अधिक औद्योगिक एककों से उसके द्वारा या उसकी ओर से घरेलू उपभोग के लिए, सारणी में वर्णित सभी माल की निकासी का, यदि कोई हो, कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान पचास लाख रुपए से अधिक हो गया हो।"

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1981 को प्रवृत्त होगी ।

[69/81]

G.S.R. 199(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 160/77-Central Excise, dated the 18th June, 1977, namely :—

In the said notification, for the provisos, the following provisos shall be substituted, namely :—

"Provided that the duty specified in column (2) of the Table shall be reduced by fifteen per cent ad valorem,—

(i) if an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of capital investment made from time to time on plant and machinery installed in the industrial unit in which the articles described in the Table are manufactured, is not more than rupees twenty lakhs, and

(ii) if the total value of clearances of all the articles described in the Table, if any, for home consumption, from such industrial unit by or on behalf of one or more manufacturers, during the preceding financial year had not exceeded rupees fifty lakhs :

Provided further that the total value of first clearances of all the articles described in the Table, for home consumption, at the reduced rate of duty as specified in the first proviso,—

(i) by or on behalf of a manufacturer, from one or more industrial units, or

(ii) from any industrial unit, by or on behalf of one or more manufacturers,

shall not exceed, in either case, rupees twenty-five lakhs, in any financial year :

Provided also that nothing contained in this notification shall apply to a manufacturer if the total value of clearances of all the articles described in the Table, if any, for home consumption, by him or on his behalf, from one or more industrial units, during the preceding financial year, had exceeded rupees fifty lakhs.'.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1981.

[69/81]

सा०का०नि० 200(अ)—केन्द्रीय सरकार,केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 163/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 33—च के अन्तर्गत आने वाले माल को उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से छूट देती है जितना मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक है यदि—

(1) ऐसे अधिकारी का जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे औद्योगिक एकक में जिसमें निकासी किए जाने वाले उक्त माल का विनिर्माण किया जाता है, स्थापित संयंत्र और मशीनरी पर समय-समय पर किए गए पूंजी विनिधान के मूल्य की कुल राशि बीस लाख रुपए से अधिक नहीं है, और

(2) ऐसे औद्योगिक एकक से एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से घरेलू उपभोग के लिए उक्त माल की निकासी का, यदि कोई हो, कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो गया हो :

परन्तु यह और कि—

(1) एक या अधिक औद्योगिक एककों से किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से, या

(2) किसी औद्योगिक एकक से एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से,

इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शुल्क की घटी दर पर घरेलू उपभोग के लिए उक्त माल की प्रथम निकासी का कुल मूल्य किसी वित्तीय वर्ष में, दोनों दशाओं में, पचास लाख रुपए से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि इस अधिसूचना की कोई बात किसी विनिर्माता को लागू नहीं होगी यदि एक या अधिक औद्योगिक एककों से उसके द्वारा या उसकी ओर से घरेलू उपभोग के लिए उक्त माल की निकासी का, यदि कोई हो, कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान एक करोड़ रुपए से अधिक हो गया हो ।

स्पष्टीकरण :—पूंजी विनिधान के मूल्य की कुल राशि का अवधारण करते समय, उस समय जब ऐसा विनिधान किया गया था, विनिधान का अंकित मूल्य ही हिसाब में लिया जाएगा किन्तु ऐसे संयंत्र और मशीनरी पर जो किसी औद्योगिक एकक से स्थायी तौर पर हटा दी गई है या किसी प्रयोग के लिए अयोग्य ठहरा दी गई है, किए गए विनिधान का मूल्य ऐसे अवधारण से अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1981 को प्रवृत्त होगी ।

[70/81]

G.S.R. 200(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 163/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, the Central Government hereby exempts goods falling under Item No. 33F of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of twenty-five per cent ad valorem :—

(i) if an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of capital investment made from time to time on plant and machinery installed in the industrial unit in which the said goods, under clearance, are manufactured, is not more than rupees twenty lakhs, and

(ii) if the aggregate value of clearances of the said goods, if any, for home consumption, from such industrial unit by or on behalf of one or more manufacturers, during the preceding financial year had not exceeded rupees one crore :

Provided further that the aggregate value of first clearances of the said goods, for home consumption, at the reduced rate of duty as specified in this notification, —

(i) by or on behalf of a manufacturer, from one or more industrial units, or

(ii) from any industrial unit, by or on behalf of one or more manufacturers, shall not exceed, in either case, rupees fifty lakhs, in any financial year :

Provided also that nothing contained in this notification shall apply to a manufacturer if the aggregate value of clearances of the said goods, if any, for home consumption by him or on his behalf, from one or more industrial units, during the preceding financial year, had exceeded rupees one crore.

Explanation :—While determining the sum total of the value of the capital investment, only the face value of the investment at the time when such investment was made shall be taken into account, but the value of the investment made on plant and machinery which have been removed permanently from the industrial unit or rendered unfit for any use shall be excluded from such determination.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April 1981.

[70/81]

सा०का०नि० 201(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 38/81—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 के प्रथम और द्वितीय परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु किसी अधिकारी का जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे औद्योगिक एकक में जिसमें निकासी किए जाने वाले उक्त माल का विनिर्माण किया जाता है, स्थापित संयंत्र और मशीनरी पर समय-समय पर किए गए पूंजी विनिधान के मूल्य की कुल राशि बीस लाख रुपए से अधिक नहीं है और ऐसे औद्योगिक एकक से एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से घरेलू उपभोग के लिए उक्त माल की निकासी का, यदि कोई हो, कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान पचास लाख रुपए से अधिक नहीं हो गया हो .

परन्तु यह और कि—

(1) एक या अधिक औद्योगिक एककों से किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से, या

(2) किसी औद्योगिक एकक से एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से,

इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शुल्क की घटी दर पर घरेलू उपभोग के लिए उक्त माल की प्रथम निकासी का कुल मूल्य किसी वित्तीय वर्ष में, दोनों दशाओं में, पच्चीस लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।"

[71/81]

G.S.R. 201(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 38/81-Central Excises, dated the 1st March, 1981, namely :—

In the said notification, in paragraph 1, for the first and second provisos, the following provisos shall be substituted, namely :—

"Provided that an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of capital investment made from time to time on plant and machinery installed in the industrial unit in which the said goods, under clearance, are manufactured is not more than rupees twenty lakhs and that the aggregate value of clearances of the said goods, if any, for home consumption, from such industrial unit by or on behalf of one or more manufacturers, during the preceding financial year had not exceeded rupees fifty lakhs .

Provided further that the aggregate value of first clearances of the said goods, for home consumption, at the reduced rate of duty as specified in this notification,—

(i) by or on behalf of a manufacturer, from one or more industrial units, or

(ii) from any industrial unit, by or on behalf of one or more manufacturers,

shall not exceed, in their case, rupees twenty-five lakhs in any financial year.".

[71/81]

सा०का०नि० 202(अ).—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधि-

सूचना सं० 105/80—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जून, 1980 में निम्नलिखित और संशोधित करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"परन्तु यह और भी कि किसी कारखाने से एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से इस अधिसूचना के अधीन शुल्क की शून्य दर पर उक्त माल की प्रथम निकासी का कुल मूल्य किसी वित्तीय वर्ष में किसी भी दशा में तीस लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।" ;

(ii) पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्—

"2. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट लागू नहीं होगी यदि किसी कारखाने से एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से घरेलू उपभोग के लिए उक्त माल की निकासी का, यदि कोई हो, कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में तीस लाख रुपए से अधिक हो गया हो।"

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1981 को प्रवृत्त होगी।

[72/81]

G.S.R. 202(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 105/80-Central Excises, dated the 19th June, 1980, namely :—

In the said notification,—

(i) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided also that the total value of the first clearances of the said goods from any factory by or on behalf of one or more manufacturers at nil rate of duty under this notification shall in no case exceed rupees thirty lakhs in a financial year.';

(ii) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"2. The exemption contained in this notification shall not apply if the total value of the said goods cleared, if any, for home consumption, from any factory by or on behalf of one or more manufacturers, in the preceding financial year exceeded rupees thirty lakhs.".

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1981.

[72/81]

सा०का०नि० 203(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 80/80 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 19 जून, 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) पैरा 1 के परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्—

"परन्तु किसी कारखाने से एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से—

(i) इस पैरा के खण्ड (क) के आधार पर शुल्क की शून्य दर पर, या

(ii) इस पैरा के खण्ड (ख) के आधार पर शुल्क की घटी दर पर,

विनिर्दिष्ट माल की निकासी का कुल मूल्य किसी वित्तीय वर्ष में, दोनों दशाओं में, साढ़े सात लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।"

(ख) पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्—

"3. जहां किसी विनिर्माता ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किसी विनिर्दिष्ट माल की निकासी नहीं की है या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार किसी ऐसे माल की निकासी की है वहां इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट ऐसे विनिर्माता को लागू होगी, यदि—

(क) वह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर के पास इस आशय की घोषणा फाइल करता है कि—

(i) एक या अधिक कारखानों से उसके द्वारा या उसकी ओर से घरेलू उपभोग के लिए सभी उत्पाद-शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य वित्तीय वर्ष के दौरान बीस लाख रुपए से अधिक होने की संभावना नहीं है ; और

(ii) एक या अधिक कारखानों से उसके द्वारा या उसकी ओर से घरेलू उपभोग के लिए विनिर्दिष्ट माल की निकासी का कुल मूल्य वित्तीय वर्ष के दौरान पन्द्रह लाख रुपए से अधिक होने की संभावना नहीं है ; और

(ख) (i) एक या अधिक कारखानों से उसके द्वारा या उसकी ओर से घरेलू उपभोग के लिए सभी उत्पाद-शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य वित्तीय वर्ष के दौरान बीस लाख रुपये से अधिक नहीं होता है, और

(ii) एक या अधिक कारखानों से उसके द्वारा या उसकी ओर से घरेलू उपभोग के लिए विनिर्दिष्ट माल की निकासी का कुल मूल्य वित्तीय वर्ष के दौरान पन्द्रह लाख रुपए से अधिक नहीं होता है।" ;

(ग) पैरा 4 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्—

"4. इस अधिसूचना की कोई बात लागू नहीं होगी यदि—

(1) किसी कारखाने से एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से घरेलू उपभोग के लिए सभी उत्पाद-शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान बीस लाख रुपए से अधिक हो गया हो,

(2) किसी कारखाने से एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से घरेलू उपभोग के लिए विनिर्दिष्ट माल की निकासी का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान पन्द्रह लाख रुपए से अधिक हो गया हो।"

(घ) पैरा 4 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5. जहां विनिर्दिष्ट माल की किसी कारखाने से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निकासी नहीं की गई है या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार निकासी की गई है वहां इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट लागू नहीं होगी यदि,—

(i) ऐसे कारखाने से एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से घरेलू उपभोग के लिए सभी उत्पाद शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य वित्तीय वर्ष के दौरान बीस लाख रुपए से अधिक हो जाता है,

(ii) जिसे कारखाने से एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से घरेलू उपभोग के लिए विनिर्दिष्ट माल की निकासी का कुल मूल्य वित्तीय वर्ष के दौरान पन्द्रह लाख रुपए से अधिक हो जाता है।"

(ङ) स्पष्टीकरण 1 के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् —

'स्पष्टीकरण 1.—यथास्थिति, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान या पैरा 1 और 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट माल की की गई निकासी के कुल मूल्य की संगणना उक्त सारणी की प्रत्येक क्रम संख्या की बाबत अलग-अलग की जाएगी और प्रत्येक ऐसी क्रम संख्या की बाबत उक्त क्रम संख्या के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट सभी माल का कुल मूल्य हिसाब में लिया जाएगा।"

(च) स्पष्टीकरण 2 का लोप किया जाएगा,

(छ) स्पष्टीकरण 3 से 6 को स्पष्टीकरण 2 से 5 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

2 यह अधिसूचना 1 अप्रैल 1981 को प्रवृत्त होगी।

[73/81]

टी० आर० रस्तगी अवर सचिव

G.S.R. 203(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No 80/80 Central Excises dated the 19th June, 1980, namely :—

In the said notification,—

(a) in paragraph 1 for the provisos, the following proviso shall be substituted, namely —

'Provided that the aggregate value of clearances of the specified goods from any factory by or on behalf of one or more manufacturers —

(i) at nil rate of duty in terms or clause (a) of this paragraph, or

(ii) at reduced rate of duty in terms of clause (b) of this paragraph,

shall not in either case exceed rupees seven and a half lakhs in any financial year." ;

(b) for paragraph 3, the following paragraph shall be substituted, namely —

"3 Where a manufacturer has not cleared any specified goods in the preceding financial year, or has cleared any such goods for the first time on or after the 1st day of August in the preceding financial year, the exemption contained in this notification shall be applicable to such manufacturer, —

(a) if he files a declaration with the Assistant Collector of Central Excise,—

(i) that the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf for more consumption, from one or more factories, during the financial year is not likely to exceed rupees twentty lakhs, and

(ii) that the aggregate value of clearances of the specified goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the financial year is not likely to exceed rupees fifteen lakhs , and

(b) (i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the financial year does not exceed rupees twenty lakhs, and

(ii) if the aggregate value of clearances of the specified goods by him or on his behalf, for home consumption from one or more factories, during the financial year does not exceed rupees fifteen lakhs" ;

(c) for paragraph 4, the following paragraph shall be substituted namely :—

4 Nothing contained in this notification shall apply,—

(i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods from any factory by or on behalf of one or more manufacturers, for home consumption, during the preceding financial year, had exceeded rupees twenty lakhs,

(ii) if the aggregate value of clearances of the specified goods from any factory by or on behalf of one or more manufacturers, for more consumption during the preceding financial year, had exceeded rupees fifteen lakhs" ;

(d) after paragraph 4 the following paragraph shall be inserted, namely —

"4 Where the specified goods have not been cleared from any factory in the preceding financial year, or have been cleared for the first time on or after the 1st day of August in the preceding financial year the exemption contained in this notification shall not be aplicable, —

(i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods from such factory by or on behalf of one or more manufacturers, for home consumption, during the financial year, exceeds rupees twenty lakhs,

(ii) if the aggregate value of clearances of the specified goods from such factory by or on behalf of one or more more manufacturers, for home consumption, during the financial year, exceed rupees fifteen lakhs" ;

(e) for Explanation I, the following Explanation shall be substituted, namely —

"Explanation I.—The aggregate value of clearances of the specified goods made during any financial year, or as the case may be during the period specified in paragraphs 3 and 5 shall be computed separately in respect of each serial number of the said Table and in respect of each such serial number the aggregate value of all the goods specified in column (3) of the said Table against the said serial number, shall be taken into account" ;

(f) Explanation II shall be omitted ;

(g) Explanations III to IV shall be renumbered as Explanations II to V, respectively.

2 This notification shall come into force on the 1st day of April, 1981

[73/81]

T R RUSTAGI, Under Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981